झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

संख्या 13 / उ0न्या0स्था0–05 / 2014 का0 449 दिनांक 19/01/2023

विषय :– विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका–2(ii), जिसके तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रूपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, में संशोधन के सम्बन्ध में।

झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20.11.2015 की कंडिका–2(ii) में संशोधन हेतु विधि विभाग के माध्यम से किये गये अनुरोध के आलोक में उक्त संकल्प की कंडिका–2(ii), जिसके तहत झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रूपये तक निःशुल्क कॉल की सुविधा प्रदान की गयी है, में इस हद तक संशोधन किया जाता है कि प्रति माह अनुमान्य 1500 रूपये के प्रावधानित सीमा के अन्दर निःशुल्क कॉल की सुविधा के साथ FTTH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट / कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे भी जुड़े होंगे। संकल्प की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

3. उपर्युक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2023 में मद संख्या–2 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18.1.23

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–13 / उ0न्या0स्था0–05 / 2014 का0 449 / राँची, दिनांक 19.01.2023

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18.1.23

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–13 / उ0न्या0स्था0–05 / 2014 का0 446 / राँची, दिनांक 19/01/2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, रांची / लोकायुक्त, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव का कोषांग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.23

सरकार के प्रधान सचिव